फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2021-22

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
4059 01051 04 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य	500.00	391.76	391.76	291.76	100.00
योग-	**500.00**	**391.76**	**391.76**	**291.76**	**100.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059 01 051 20 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य	0.00	391.76	391.76	291.76	291.76
योग -	**0.00**	**391.76**	**391.76**	**291.76**	**291.76**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क- इस कार्यालय के पत्र संख्या जी-204ए/2020-130ए/2020, दिनांक 05.11.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रेषित विभागीय बजट अनुमान में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में रू 0.01 लाख का टोकन बजट अनुमान प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये इसी लेखाशीर्ष के उपशीर्ष 04-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हाल का निर्माण हेतु रू 500.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। इसी लेखाशीर्ष के उपशीर्ष 20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में "सारथी हॉल" सहित भवन निर्माण (जिससे जनपद शामली व पीलीभीत में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण कराया जाना है) हेतु जनपद शामली हेतु रू 300.00 लाख व पीलीभीत हेतु रू 300.00 लाख अर्थात दोनो परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रू 600.00 लाख का बजट अनुमान प्रेषित किया गया, किन्तु इन कार्यो हेतु कोई बजट प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण।

ख- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये उक्त लेखाशीर्ष 4059 के उपशीर्ष 04-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हाल का निर्माण के अन्तगत जनपद कुशीनगर में निर्माणाधीन सारथी हॉल की कुल स्वीकृत लागत रू 223.24 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत प्रथम किस्त की धनराशि रू 115.00 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कार्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध न कराये जाने के कारण द्वितीय किस्त निर्गत नही की जा सकी। इस लेखाशीर्ष में प्रावधानित धनराशि से जनपद कुशीनगर में निर्माणाधीन सारथी हॉल की अवशेष/द्वितीय किस्त रू 108.24 लाख की आवश्यकता अनुमानित होने के कारण।

अतः उक्त उप लेखाशीर्ष में प्रावधानित धनराशि रू 500.00 लाख में से 108.24 लाख को कम करते हुये अतिरिक्त धनराशि रू 391.76 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार है :-

क- शासन के पत्र संख्या 87/2020/632/30-3-2020, दिनांक 04.12.2020 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉलसहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन किया गया, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या 44/2021/353/30-3-2021, दिनांक 30.03.2021 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की कुल परीक्षित लागत रू 991.19 लाख पर प्रशासकीय एवं प्रथम किस्त के रूप में रू 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी, जिसका आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को गत वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत निर्माण कार्य की द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण।

ख- शासन के पत्र संख्या 109/2020/3497/30-3-2020, दिनांक 29.12.2020 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन किया गया, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस कार्यालय के पत्र संख्या 862ए/2021-37ए/2015, दिनांक 23.03.2021 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था से प्राप्त लागत आगणन को संलग्न कर प्रश्नगत निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक प्रस्ताव प्रेषित किया गया, किन्तु किन्ही कारणोंवश आवश्यक वित्तीय स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में निर्गत न हो पाने तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-731/ई-9-यू0ओ0-ई-9-3647/दस-2022, दिनॉक 31 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-33/2022/1388(1)/तीस-3-2021 दिनॉक 31 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीयवर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।